

# न्यायालय नायब तहसीलदार भिंयाड, जिला बाड़मेर

राजस्थान प्रकरण मामला संख्या 110/2024 अर्थात धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956

सायल

बनाम

गैर सायल

राजस्थान राज्य  
जरिये पटवारी उण्डू

मंगनाराम पुत्र उदाराम  
जाति जाट निवारी शहीद खेताराम नगर।

"निर्णय"

दिनांक:- 04.10.2024

पत्रावली आज बमुकाम भिंयाड में पेश हुई और गैर सायल उपरिथत पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का उण्डू ने धारा आर.एल.आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गै.सा. ने मौजा मूढ़णों की ढाणी के खसरा नं. 355/64 रकबा 24.15 बीघा में से 03.00 बीघा किस्म बा.अवल राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण / कब्जा / काश्त किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तागिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल उपरिथत रहा।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से वेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। साथ ही वार्षिक लगान रूपये 0.12 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रूपये 18/- पूर्णांक में अक्षरे अठारह रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू.अ. वृत्त एवं हल्का पटवारी -को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमी से जुर्माना वास्ते अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करें।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से वेदखल कर फसल नीलामी की कार्यवाही करते हुए भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे।

टी.आ.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 04.10.2024 को सरेआम सुनाया गया।

नायब तहसीलदार भिंयाड

